कार्यालय नगर परिषद बम्हनी-बंजर जिला बम्हनी-बंजर (म.प्र.)

क्र./लो.नि.शा./2026/186

बम्हनी-बंजर दिनांक 18/05/2026

ई-निविदा आमंत्रण सूचना - 2026-UAD-508513-1

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित कार्य हेतु म०प्र०शासन **UADD ISSR w.e.f. 02 August 2021** से प्रभावशील ISSR पर कम/अधिक प्रतिशत के आधार पर केन्द्रीकृत पंजीयन प्रणाली या सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाईन निविदा दिनांक 19/06/2026 समय 17.30 बजे तक आमंत्रित की जाती है।

ई-टेंडर क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत एवं ISSR (रूपये में)	अमानत राशि (रूपये में)	निविदा प्रपत्र मूल्य (रूपये में)	सक्षम पंजी श्रेणी	कार्यावधि (महीनों में)
1	नगर पालिका क्षेत्र बम्हनी बंजर में सिलगी नाका से सिविल लाईन नाका तक स्टीट लाईट एवं पेवर ब्लॉक तथा सौंदर्यीकरण कार्य।	9315460	69866/-	10000	Centralized registration system on PWD	03 माह

इच्छुक निविदादाता निविदा से संबंधित संपूर्ण विवरण website http://mptenders.gov.in ऑनलाईन निविदा पपत्र केवल website http://mptenders.gov.in से दिनांक 18/05/2026 17:30 PM up to 17:30 PM on 19/06/2026 के तक क्रय किये जा सकते है।

शर्तें:-

1- निविदा प्रपत्र हेतु सक्षम श्रेणी में जीवित पंजीयन एवं पंजीकृत ठेकेदार का पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिसके साथ निम्न दस्तावेज अत्यावश्यक होंगे -: वैध पंजीयन की प्रति।

2- अमानत राशि ऑन-लाईन मुख्य नगरपालिका अधिकारी बम्हनी-बंजर के नाम से जमा होनी चाहिए। बिना अमानत राशि जमा किए निविदा मान्य नहीं की जावेगी।

3- टेंडर डॉक्यूमेंट की समस्त शर्तें अनुबंध शर्तों का हिस्सा होंगी।

4- निविदा स्वीकृति/अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी का रहेगा। निविदा स्वीकृति होने पर ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर निविदादर स्वीकृति उपरांत निविदा राशि `50.00 लाख तक राशि `500 एवं राशि `50.00 लाख से अधिक पर 0.10% का गैर न्यायायिक स्टॉप पर म.प्र.न.पा.अधिनियम के निर्धारित प्रारूप 30 नियम 105 में अनुबंध करना होगा।

5- निविदा में सभी प्रकार के टैक्स/रायल्टी आदि शामिल होना चाहिए। किसी भी प्रकार का टैक्स नगरपालिका से देय नहीं होगा।

6- कार्य हेतु आवश्यक संसाधनों/मशीनरी की व्यवस्था निविदादाता को स्वयं को करना होगा।

7- इसके लिए देयक से काटी गई सुरक्षा निधि/अमानत राशि कार्य पूर्ण तिथि से 02 वर्ष पश्चात् कार्य की स्थिति संतोषजनक पाये जाने पर वापस किया जावेगा।

8- सफल निविदाकार को अनुबंध करते समय शपथ-पत्र की मूलप्रति जमा करना अनिवार्य होगा।

9- प्राक्कलन के आयटम में आवश्यकतानुसार परिवर्तन सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से किया जा सकता है। जिसे ठेकेदार को मान्य करना होगा। जिसकी तकनीकी स्वीकृति संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल से अनिवार्य रूप से ली जानी होगी, जो ठेकेदार को करानी होगी।

10- निविदा आमंत्रण के समय 0.75% अमानत राशि एवं अनुबंध करते समय 3% परफारमेंस गारंटी राशि जमा करना अनिवार्य होगा, जिसके उपरांत देयकों में से 7% सुरक्षा निधि एवं नियमानुसार कटौती की जावेगी।

11- प्रस्तावित निर्माण कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के वर्क्स, मैन्युअल की धारा 11ए, 11बी एवं 11सी प्रभावशील एवं मान्य नहीं होंगे अर्थात उक्त कार्य हेतु निकाय द्वारा कोई भी निर्माण सामग्री, सामग्री अग्रिम तथा एस्केलेशन देय नहीं होंगे।

12- निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण करना होगा अन्यथा निविदा एवं अनुबंध की शर्तो के अनुसार विलंब हेतु कटौती की जावेगी।

13- कार्य के संबंध में मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग के स्पेशीफिकेशन अनुसार नियत गुणवत्ता का कार्य संपादित करना होगा।

14- कार्य हेतु सीमेंट, लोहा एवं अन्य निर्माण सामग्री आई.एस.आई. मार्क की एवं UADD द्वारा प्रमाणित निर्धारित स्ट्रेन्थ का उपयोग करना होगा। इसकी व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं करना होगी।

15- कार्य में लगाए गए श्रमिकों के कल्याण एवं सुरक्षा हेतु समुचित व्यवस्था मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुरूप करनी होगी तथा मजदूरी का भुगतान न्यूनतम मजदूरी दर से करना होगा। कार्य में बाल श्रमिकों का नियोजन प्रतिबंधित रहेगा।

16- ठेकेदार द्वारा या उसके माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों द्वारा देय अंशदान ठेकेदार ही वसूल करेगा और सदस्यों के अंशदान की यथाकथित राशि के बराबर की राशि तथा प्रशासकीय प्रभार के साथ मुख्य नियोक्ता को देगा। मुख्य नियोक्ता अपने कर्मचारियों
तथा ठेकेदार या उसके माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों की ओर से देय दोनों अंशदान और प्रशासकीय प्रभार देने के लिए उत्तरदायी होगा। जिसका विवरण (रिकार्ड) नियोक्त को रखना अनिवार्य होगा एवं मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।

17- सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार को क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय में पंजीयन होना अनिवार्य होगा।
18- श्रम विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
19- कार्य का निरीक्षण न.पा. के निर्वाचित पदाधिकारियों द्वारा भी किया जा सकेगा तथा उपयंत्री/सहायक यंत्री/ कार्यपालन यंत्री/कन्सलटेंट द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
20- म०प्र०शासन लो.नि.वि.भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-53/2/2011/यो/19/5788 भोपाल, दिनांक 25/10/2011 के निर्देशानुसार निविदाकारों से अव्यवहारिक दरें (Unworkable Rates) प्राप्त होने पर सफलतम निविदाकार (L1) से प्राप्त निविदा (Agreement Amount) एवं ISSR के 10% कम की निविदा राशि के अंतर की अतिरिक्त परफारमेन्स गांरटी (Additional Performance Guarantee) ली जावेगी। तत्पश्चात् ही अनुबंध निष्पादित किया जावेगा।
21- निर्माण कार्य के दौरान आवश्यक मटेरियल टेस्ट एवं अन्य आवश्यक टेस्ट ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर टेक्नीकल शाखा द्वारा दिये गये निर्देश अनुसार कराना होगा।
22- नगरपालिका की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये उपरोक्तानुसार निर्माण कार्यो की लागत को कम/अधिक किया जा सकता है।
23- निर्माण कार्य में उपयोग होने वाली सामग्री परीक्षण हेतु निर्माण स्थल पर ही सुजजित प्रयोगशाला की स्थापना करना होगा।
24- ठेकेदार को कार्य के पर्यवेक्षण हेतु स्वयं के व्यय से तकनीकी स्टॉप लोक निर्माण विभाग में जारी मेनूअल अनुसार होगा। जिसका विवरण निविदा के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा शासन के निर्देशों के अनुसार देयक में से प्रतिमाह राशि काटी जावेगी।
25- निविदा स्वीकृत होने की सूचना देने पर सात दिन में ठेकेदार अनुबंध नहीं करता है तो अमानत राशि राजसात कर अलगे वर्ष तक निविदा स्पर्धा में भाग लेने नहीं दिया जायेगा।
26- ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर किये जा रहे निर्माण कार्य का नाम, लागत राशि, मद, अध्यक्ष का नाम तथा वार्ड पार्षद के नाम के साथ स्वयं का नाम इत्यादि का बोर्ड प्रस्तावित कार्यस्थल पर लगाना अनिवार्य होगा।
27- कार्य के दौरान ठेकेदार को सुरक्षा के इंतजाम स्वयं करने होगें। किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो इसके लिए निकाय की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी।
28- बिड् डाक्यूमेंट की शर्ते निविदा शर्तों का हिस्सा होगी।
29- कार्य स्थल के छायाचित्र (फोटोग्राफ) कार्य प्रारंभ के पूर्व, कार्य के दौरान तथा कार्य पूर्ण उपरांत का प्रस्तुत करना होगा। जिसका पृथक से निकार्य द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।
30- शासन से फन्ड उपलब्ध होने पर ही भुगतान किया जावेगा।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद बम्हनी बंजर
जिला-मंडला

पृ.क्र./लो.नि.शा./2026/186A बम्हनी-बंजर, दिनांक 18/05/2026
प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त महोदय, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश भोपाल की ओर बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सादर प्रेषित।
2. अध्यक्ष महोदय, नगर परिषद बम्हनी-बंजर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. संपादक .... संस्करण की ओर उक्त विज्ञप्ति शासन द्वारा निर्धारित दर पर एक दिवसीय प्रकाशन (ऑल एडिशन) हेतु प्रेषित। भुगतान हेतु समाचार पत्र की 5 प्रतियों के साथ प्रेस का देयक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. संपादक .... संस्करण की ओर उक्त विज्ञप्ति शासन द्वारा निर्धारित दर पर एक दिवसीय प्रकाशन (ऑल एडिशन) हेतु प्रेषित। भुगतान हेतु समाचार पत्र की 5 प्रतियों के साथ प्रेस का देयक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. संपादक .... संस्करण की ओर उक्त विज्ञप्ति शासन द्वारा निर्धारित दर पर एक दिवसीय प्रकाशन (ऑल एडिशन) हेतु प्रेषित। भुगतान हेतु समाचार पत्र की 5 प्रतियों के साथ प्रेस का देयक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद बम्हनी बंजर
जिला-मंडला

Signature Not Verified
Digitally signed by Meena Patel
Date: 2026.05.18 16:15:29 IST
Location: Madhya Pradesh-MP